RD 848319634 IN

Posted upload

No. 4-14/2016-SPG
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(Personnel Division)

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi - 110 001
Dated : 18 .08.2017

To

The General Manager,
Centre for Excellence and Postal Technology,
Mysore – 570010,
Karnataka

Subject: Uploading of notified Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017 – regarding.

Kindly find enclosed herewith a copy of gazette notified Indian Postal Service, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2017. In this context, it is requested to upload the same on the Department's website at prominent place for information of all concerned.

Encl.: As above.

Manoj Sharma
(Manoj Sharma)
Assistant Director General (SGP)

Centre for Excellence in Postal Technology, Mysore-570010
22 AUG 2017
Director | A.D.(Admin)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 688] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1010(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति तथा सेवा-शर्त का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) किसी ग्रेड के सम्बंध मे "विभागीय प्रोन्नति समिति" – से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा-उपदर्शित किसी ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए किया गया हो;

(ग) किसी ग्रेड के सम्बंध मे "विभागीय पुष्टिकरण समिति" – से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा-उपदर्शित किसी ग्रेड में पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए किया गया हो;

(घ) "विभागीय छान-बीन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में उपदर्शित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) में नियोजन पर विचार करने और अनुसूची 4 में यथा-उपदर्शित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए किया गया हो;

(ङ.) "परीक्षा" से केंद्रीय सेवा के समूह 'क' की भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "ग्रेड" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(ज) किसी ग्रेड में "नियमित सेवा" से विहित प्रक्रिया के अनुसार उस ग्रेड में चयन के पश्चात ग्रेड में की गई सेवा की अवधि से है, और जिसमें ऐसी अवधि या अवधियाँ भी सम्मिलित है जिसमें इन नियमों की अधिसूचना के समय पहले से सेवारत व्यक्तियों की ज्येष्ठता के प्रयोज्यों को ध्यान में रखा गया हो, जिसके दौरान किसी अधिकारी को उसके छुट्टी पर जाने या प्रशिक्षण या विदेश में कार्य के कारण वह ग्रेड न मिला हो;

(झ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का अर्थ वही है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खण्ड (24) और खण्ड (25) में उसका है;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जाति या और समुदाय सम्मलित होंगे;

(ट) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय डाक सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है।

3. **सेवा का गठन.**—(1) भारतीय डाक सेवा, समूह 'क' नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और नियम 7 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा में सम्मलित सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) उप नियम 3(1) में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की गई नियमित निरंतर सेवा की गणना, जिसे उन्होंने इन नियमों के आरंभ होने से पहले पूर्ण किया गया हो, ज्येष्ठता, पुष्टिकरण, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी.**—सेवा का **नियंत्रक** प्राधिकारी भारत सरकार, संचार मंत्रालय, डाक विभाग होगा।

5. **ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों के प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या, प्रत्येक ग्रेड मे पदों की संख्या तथा उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल, अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ही सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या वह होगी जो कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

6. **सेवा के सदस्य.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर इस सेवा में ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विभिन्न ग्रेडों में भारतीय डाक सेवा, समूह 'क' में नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात किसी ग्रेड के कर्तव्य पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से तत्स्थानी ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

7. **सेवा में नियुक्तियां.**—(1) सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात किसी भी ग्रेड की रिक्ति को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में भरा जाएगा।

(2) कनिष्ठ समयमान की पचास प्रतिशत रिक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए और अधिसूचित नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(3) कनिष्ठ समयमान की शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूची-3 के तदनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग के साथ परामर्श करके अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट उपाबंधों के अनुसार डाक सेवा, समूह 'ख' में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (रु. 53,100 – 1,67,800) और ज्येष्ठ पोस्टमास्टर ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रु. 47,600 – 1,51,100) के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(4) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के सिवाए ज्येष्ठ समयमान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति, अनुसूची-2 के उपाबंधों के अनुसार, अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर

'चयन' द्वारा की जाएगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) पर नियोजन ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा जोकि अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन होगा।

8. **परिवीक्षा.**—(1) नियम 7 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी:

परन्तु नियंत्रक अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात साधारणत: आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, यथास्थिति, अधिकारी की स्थायी नियुक्ति के लिए यदि ठीक समझे, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित की जाएगी और उपलब्ध पर्याप्त रिक्ति के विरूद्ध बाद में उसे अभिपुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति, किसी परीवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान, सरकार की यह राय हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवा से उन्मुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।

(4) किसी परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अभ्यर्थी से परिवीक्षक को समाधानप्रदरूप में पूरा करने की शर्त के रूप में, ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त करने तथा ऐसी परीक्षा और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी के परीक्षा भी हैं) जो सरकार ठीक समझे, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, अभ्यर्थी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठता.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर सेवा के सदस्यों की संबंधित ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व यथा-निर्धारित उनके संबंधित ग्रेडों में उनकी संबंधित ज्येष्ठता होगी:

परन्तु यदि इस सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है, तो उसे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात इस सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता को इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) उपर्युक्त उपाबंधों के अंतर्गत न आने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता को सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।

10. **अकृत्यिक उन्नयन.**—(1) जब कभी राज्य के संयुक्त काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र में 13क के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 से लेवल 15, के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में की जाती है, तो इस सेवा के वैच के अधिकारी जो कि दो वर्ष या इससे अधिक ज्येष्ठ होते हैं तथा जिन्हें उस विशेष संवर्ग में अबतक प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को उस विशेष ग्रेड में केन्द्र में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वेतन मैट्रिक्स में वही लेवल दिया जाएगा।

(2) किसी विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स में लेवल में उन्नयन के लिए 'बेंचमार्क' सहित सभी विहित पात्रता मानदंड तथा प्रोन्नति मानकों को वेतन मैट्रिक्स में उच्च लेवल प्रदान किए जाने के लिए छान-बीन के समय पूरा करना होगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में वर्णित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाना-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(ii) अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट छान-बीन समिति की सिफारिशों के अनुसार होगा।

11. **सेवा-शर्तें.**—(1) इस सेवा के लिए नियुक्त कोई अधिकारी कहीं भी सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर फील्ड सेवा तथा सेना डाक सेवा भी है।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में इस सेवा के ऐसे अधिकारियों की सेवा शर्तें जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपाबंध नहीं किया गया है; वही होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को लागू होती हैं।

12. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगी।

14. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची -I

[उप नियम – 6 (1) देखें]

ग्रेड, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में लेवल तथा प्राधिकृत संख्या

क्र. सं.	ग्रेड	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्राधिकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतम वेतनमान	महानिदेशक डाक सेवाएं	लेवल 17 (रु. 2,25,000)	1
2.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड+	सदस्य, डाक सेवा बोर्ड या अपर महानिदेशक (समन्वय)	लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400)	7
3.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य महाप्रबंधक या ज्येष्ठ उप महानिदेशक, निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 15 (रु.1,82,200 - 2,24,100)	27
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	पोस्टमास्टर जनरल या उप महानिदेशक या महाप्रबंधक या अपर निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 14 (रु.1,44,200 - 2,18,200)	78
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड)	निदेशक या निदेशक डाक सेवा या अपर महाप्रबंधक या संयुक्त निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 13 (रु. 1,18,500 - 2,14,100)	ज्येष्ठ कर्तव्य पदों का 30% (अर्थात ज्येष्ठ समय-मान में पद तथा इससे ऊपर), परन्तु कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड सहित कुल संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।

6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	निदेशक या निदेशक, डाक सेवा या अपर महाप्रबंधक अथवा संयुक्त निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 12 (रु. 78,800 - 2,09,200)	109
7.	ज्येष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक या उप महाप्रबंधक या ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर या ज्येष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा या सहायक पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य पोस्टमास्टर या उप निदेशक या समतुल्य	लेवल 11 (रु. 67,700 - 2,08,700)	102
8.	कनिष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक या उप महाप्रबंधक या ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर या ज्येष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा या सहायक पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य पोस्टमास्टर या उप निदेशक या समतुल्य	लेवल 10 (रु. 56,100 - 1,77,500)	151
9.	आरक्षित			86
	कुल			**561**

अनुसूची -2

[नियम – 7 देखें]

भारतीय डाक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अगले निम्नतम ग्रेड में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र. सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	क्या चयनित पद या गैर-चयनित पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतम वेतनमान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 (रु. 2,25,000)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 01 वर्ष की सेवा के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400) में सेवा के अधिकारी।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 01 वर्ष की सेवा के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100) में सेवा के अधिकारी।
3.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 03 वर्ष की सेवा के साथ ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200) में सेवा के अधिकारी या इस सेवा में समूह 'क' में 25 वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम 01 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने न्यूनतम 02 सप्ताह का उच्चतर विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अकृत्यिक चयन ग्रेड, यदि नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 08 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78,800 – 2,09,200) में सेवा के अधिकारी या इस सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक न्यूनतम दो सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया हो।

5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 1,18,500 – 2,14,100)	उपलब्धता के अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर नियोजन द्वारा	-	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु.78,800 – 2,09,200) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने परीक्षा के अगले वर्ष से परिकलित वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के 14 वर्ष पूरे कर लिए हों जिसके आधार पर सदस्य की सेवा मे भर्ती की गई थी या प्रोन्नति पर कनिष्ठ समय-मान की चयन सूची में सम्मिलित वर्ष।
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु.78,800 – 2,09,200)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ ज्येष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु.67,700 – 2,08,700) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का कार्यपालक विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
7.	ज्येष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67,700 – 2,08,700)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा के साथ कनिष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56,100 – 1,77,500) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
8.	कनिष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56,100 – 1,77,500)	(i) 50% सीधीभर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा	(i) चयन (ii) चयन	(i) आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई उन ग्रेडों में दो वर्ष की सेवा के साथ डाक सेवा, समूह 'ख' में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (रु. 53,100 – 1,67,800) और ज्येष्ठ पोस्टमास्टर ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रु.47,600 – 1,51,100) के अधिकारी, जिन्होंने न्यूनतम दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता अवधारित करने के लिए इन सभी ग्रेडों में निर्णायक तारीख सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची -3

[उप नियम 7(3) और (4) देखें]

भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि करने संबंधी मामलों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना

क्र. सं.	ग्रेड	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति /छान-बीन समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतम वेतनमान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 (रु. 2,25,000)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य	लागू नहीं होता।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतन मैट्रिक्स में	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

	लेवल 16 (रु.2,05,400 – 2,24,400)	2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सचिव (दूर संचार विभाग) – सदस्य	
3.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता।
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) - सदस्य 3. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 1,18,500 – 2,14,100)	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. उपमहानिदेशक (कार्मिक) - सदस्य 4. संयुक्त सचिव (एस. एण्ड वी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78,800 – 2,09,200)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता।
7.	ज्येष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67,700 – 2,08,700)	1. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक) - सदस्य 3. उप महानिदेशक (स्थापना) - सदस्य	लागू नहीं होता।
8.	कनिष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56,100 – 1,77,500)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. उप महानिदेशक (कार्मिक) - सदस्य	1. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - अध्यक्ष 2. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3 उप महानिदेशक (कार्मिक) - सदस्य

अनुसूची - 4

[(उप नियम 10(3) (ii) देखें]

भारतीय डाक सेवा, समूह 'क' के अधिकारियों के अकृत्यिक उन्नयन के विचार के लिए विभागीय छान-बीन समिति की संरचना

क्र. सं.	ग्रेड	अकृत्यिक उन्नयन के लिए छान-बीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-
(1)	(2)	(3)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य

3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एन.एफ.एस.जी.)	1.	सचिव (डाक)	-	अध्यक्ष
		2.	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	-	सदस्य
		3.	उप महानिदेशक (कार्मिक)	-	सदस्य
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1.	सचिव (डाक)	-	अध्यक्ष
		2.	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	-	सदस्य
		3.	उप महानिदेशक (कार्मिक)	-	सदस्य
5.	ज्येष्ठ समय-मान	1.	सचिव (डाक)	-	अध्यक्ष
		2.	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	-	सदस्य
		3.	उप महानिदेशक (कार्मिक)	-	सदस्य

[फा. सं. 4-14/2016-एसपीजी]

जी. राजीव, निदेशक (कर्मचारीवृंद / एस पी एन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 10th August, 2017

G.S.R. 1010(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and the condition of service to Group 'A' post of Indian Postal Service, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) *"Commission"* means the Union Public Service Commission;

(b) *"Departmental Promotion Committee"* in relation to any grade, means a Committee constituted to consider promotion in any grade as indicated in Schedule III to these rules;

(c) *"Departmental Confirmation Committee"* in relation to any grade, means a Committee constituted to consider confirmation in any grade as indicated in Schedule III to these rules;

(d) *"Departmental Screening Committee"* means a Committee constituted to consider placement in Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) as indicated in Schedule III and grant of Non-Functional Up-gradation as indicated in Schedule IV to these rules;

(e) *"Examination"* means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';

(f) *"Government"* means the Government of India;

(g) *"Grade"* means a grade specified in column (2) of Schedule I;

(h) *"Regular Service"* in relation to any grade means the period of service in the grade rendered after selection to that grade according to the prescribed procedure, and includes any period or periods taken into account for purposes of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules, during which an officer would have held that grade but for his being on leave or on training or on foreign assignment;

(i) *"Scheduled Castes"* and *"Scheduled Tribes"* shall have the same meanings as are assigned to them under clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India;

(j) *"Other Backward Classes"* shall comprise the castes and communities notified by the Government from time to time.

(k) *"Service"* means the Indian Postal Service, constituted under rule 3.

(l) *"Schedule"* means the schedule annexed to these rules.

3. **Constitution of Service.**- (1) There shall be a constituted Service known as Indian Postal Service, Group 'A' consisting of persons appointed to the service under rule 6 and 7.

(2) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule 3 (1) in the respective corresponding Grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional up-gradation and pension.

4. **Controlling Authority.**—The Government of India, Ministry of Communications, Department of Posts shall be the Controlling Authority of the Service.

5. **Grades, authorized strength and its review.**—(1) The authorised permanent strength of various Grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each Grade and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Schedule-I.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various Grades of the Service shall be as may be determined by the Central Government from time to time subject to variation depending on workload.

6. **Members of Service.**— (1) The service, shall on the date of commencement of these rules, consist of officers who have already been appointed to the Indian Postal Service, Group 'A' in the various grades specified in Schedule-I on a regular basis.

(2) A person appointed to any duty post in any grade after the commencement of these rules shall be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

7. **Appointments to the Service.**—(1) After initial constitution of the Service, the vacancies in any of the grades shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) Fifty per cent of the vacancies of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Civil Services Examination conducted by the Commission in accordance with rules framed and notified by the Government from time to time.

(3) Remaining fifty per cent of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion of Postal Service, Group 'B' in level 9 in the pay matrix (Rs. 53,100 – 1,67,800) and Senior Postmaster Grade in level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600 – 1,51,100), in accordance with the provisions specified in Schedule-II in consultation with the Commission on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.

(4) Appointments in the Service to the posts of Senior Time Scale and above except to the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) shall be made in accordance with the provisions of Schedule II, by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III. Placement to the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) shall be made on the basis of seniority subject to suitability on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.

8. **Probation.**—(1) Candidates appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion under sub-rule (2) or (3) of rule 7 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling officer may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of the probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officer shall, if, considered fit, for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the candidates shall be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

9. **Seniority.**—(1) The relative seniority of the Members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any Member of the Service has not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Seniority of officers not covered by the above provisions shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Non-Functional Up-gradation.**—(1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying level 10 to level 15 except 13A in the pay matrix, the officers belong to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same level in the pay matrix on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular level in the pay matrix shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher level in the pay matrix.

(3) Grant of Non-functional Up-gradation referred to in clause (1) above shall be-

(i) in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time;

(ii) made on the recommendations of the screening committee as specified in Schedule-IV.

11. **Conditions of Service.**—(1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere, including field service and in the Army Postal Service, in or outside of India.

(2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters, for which no provision has been made under these rules, shall be the same as are applicable to the officers of Central Civil Services from time to time.

12. **Disqualification.**- No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government who shall decide the same.

14. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE – I

[See Sub Rule 6 (1)]

Grades, Designations, Level in the pay matrix and Authorised Strength

Sl. No.	Grade	Designation	Level in the pay matrix	Authorised Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex Scale	Director General Postal Services	Level 17 (Rs. 2,25,000)	1
2.	Higher Administrative Grade +	Member, Postal Services Board or Additional Director General (Coordination)	Level 16 (Rs. 2,05,400-2,24,400)	7
3.	Higher Administrative Grade	Chief Postmaster General or Chief General Manager or Senior Deputy Director General, Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Level 15 (Rs. 1,82,200 - 2,24,100)	27
4.	Senior Administrative Grade	Postmaster General or Deputy Director General or General Manager or Additional Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)	78
5.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Director or Director Postal Services or Additional General Manager or Joint Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Level 13 (Rs. 1,18,500 – 2,14,100)	30% of senior duty posts (i.e. posts in Senior Time Scale and above), provided the total strength including that in Junior Administrative Grade shall not exceed the authorised strength of Junior Administrative Grade.
6.	Junior Administrative Grade	Director or Director Postal Services or Additional General Manager or Joint Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Level 12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	109
7.	Senior Time Scale	Assistant Director General or Deputy General Manager or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Postmaster General or Chief Postmaster or Deputy Director or equivalent.	Level 11 (Rs. 67,700 - 2,08,700)	102
8.	Junior Time Scale	Assistant Director General or Deputy General Manager or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Postmaster General or Chief Postmaster or Deputy Director or equivalent.	Level 10 (Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500)	151
9.	Reserve			86
	Total			**561**

SCHEDULE – II

[See Rule 7]

Method of Recruitment, field of Promotion and Minimum Qualifying Service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Postal Service

Sl. No.	Grade	Method of Recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex Scale Level 17 in the pay matrix (Rs. 2,25,000)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade+ in level 16 in the pay matrix (Rs. 2,05,400 - 2,24,400) with one year's service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis.
2.	Higher Administrative Grade+ Level 16 in the pay matrix (Rs. 2,05,400-2,24,400)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade in level 15 in the pay matrix (Rs. 1,82,200 - 2,24,100) with one year's service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis.
3.	Higher Administrative Grade Level 15 in the pay matrix (Rs. 1,82,200 - 2,24,100)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in Senior Administrative Grade in level 14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200-2,18,200) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; or with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in Senior Administrative Grade, who have successfully completed minimum two weeks' Advanced Development Programme or Departmental Induction or prescribed in-service Training.
4.	Senior Administrative Grade Level 14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200-2,18,200)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) with eight years' combined service in Junior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade, if any, rendered after appointment thereto on regular basis, or with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in Junior Administrative Grade including Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), who have successfully completed minimum two weeks' Management Development Programme or Departmental Induction or prescribed in- service Training.
5.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) Level 13 in the pay matrix (Rs. 1,18,500 – 2,14,100)	By Placement on the basis of seniority subject to suitability	-	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) who have entered the 14th year of the service on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member of the Service was recruited, or the year of inclusion in the select list of Junior Time Scale on promotion.
6.	Junior Administrative Grade	By Promotion.	Selection	Officers of the Service in the Senior Time Scale in level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700 - 2,08,700) with five years' service in the grade rendered after

	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200)			appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Executive Development Programme or Departmental Induction or prescribed in-service training.
7.	Senior Time Scale Level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700 - 2,08,700)	By Promotion	Selection	Officers of the Service in the Junior Time Scale in level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction or prescribed in-service Training.
8.	Junior Time Scale Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500)	(i) 50% by Direct Recruitment (ii) 50% by Promotion	(i) Selection (ii) Selection	(i) Through Civil Services Examination conducted by the Commission. (ii) Officers of Postal Service, Group 'B' in level 9 in the pay matrix (Rs. 53,100 – 1,67,800) and Senior Postmaster Grade in level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600 – 151100) with two years' service in those grades rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction Training.

Note 1: In all the grades, the crucial date for determining the eligibility of the officers for promotion to various grades shall be as per the instructions issued by the Government from time to time.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE - III

[See Sub Rule 7(3) and (4)]

Composition of Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' officers of Indian Postal Service

Sl. No.	Grade	Group 'A' Departmental Promotion/ Screening Committee (for considering promotion) consisting of:-	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apex Scale Level 17 in the pay matrix (Rs. 2,25,000)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Secretary (Posts) - *Member* 3. Secretary (Department of Economic Affairs) - *Member*	Not applicable
2.	Higher Administrative Grade+ Level 16 in the pay matrix (Rs. 2,05,400-2,24,400)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Secretary (Posts) - *Member* 3. Secretary (DOT) - *Member*	Not applicable

3.	Higher Administrative Grade Level 15 in the pay matrix (Rs. 1,82,200 -2,24,100)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Secretary (Posts) - *Member* 3. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member*	Not applicable
4.	Senior Administrative Grade Level 14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200- 2,18,200)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Secretary (Posts) - *Member* 3. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member*	Not applicable
5.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) Level 13 in the pay matrix (Rs. 1,18,500 – 2,14,100)	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member* 4. Joint Secretary (S&V), Department of Personnel and Training - *Member*	Not applicable
6.	Junior Administrative Grade Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Member (Operations), Postal Services Board - *Member*	Not applicable
7.	Senior Time Scale Level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700 - 2,08,700)	1. Member (Personnel), Postal Services Board - *Chairperson* 2. Deputy Director General (Personnel) - *Member* 3. Deputy Director General (Establishment) - *Member*	Not applicable.
8.	Junior Time Scale Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100 – 1,77,500)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member*	1. Member (Personnel), Postal Services Board - *Chairperson* 2. Member (Operations), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member*

SCHEDULE - IV

[See Sub Rule 10 (3) (ii)]

Composition of Departmental Screening Committee for considering grant of Non-Functional Up-gradation to the officers of Indian Postal Service, Group 'A'

Sl. No.	Grade	Screening Committee for Non-Functional Up-gradation consisting of:-
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Administrative Grade	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Member (Operations), Postal Services Board - *Member*
2.	Senior Administrative Grade	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Member (Operations), Postal Services Board - *Member*
3.	Junior Administrative Grade (NFSG)	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member*
4.	Junior Administrative Grade	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member*
5.	Senior Time Scale	1. Secretary (Posts) - *Chairperson* 2. Member (Personnel), Postal Services Board - *Member* 3. Deputy Director General (Personnel) - *Member*

[F. No. 4-14/2016-SPG]

G. RAJEEV, Director (Staff/SPN)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.10 17:36:50 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.